# सोनभद्र पुलिस

## प्रेस विज्ञप्ति

**दिनांक- 01.07.2026**

- **साइबर क्राइम पुलिस थाना सोनभद्र को मिली बड़ी सफलता**
- **शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ₹25.03 लाख की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का सफल अनावरण**
- **जनपद सोनभद्र के 04 पुलिसकर्मियों से की गई ₹25.03 लाख की साइबर ठगी का सफल खुलासा**
- **04 अभियुक्त गिरफ्तार, मोबाइल फोन, लैपटॉप एवं चार पहिया वाहन बरामद**

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र **श्री अभिषेक वर्मा** के निर्देशन में साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) **श्री अनिल कुमार** के दिशा-निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी पिपरी **श्री हर्ष पाण्डेय** के पर्यवेक्षण में **साइबर क्राइम पुलिस थाना सोनभद्र** को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। साइबर क्राइम पुलिस द्वारा शेयर ट्रेडिंग के नाम पर **अधिक लाभ का झांसा देकर साइबर ठगी** करने वाले गिरोह का सफल अनावरण करते हुए 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

**घटना का संक्षिप्त विवरण-**

वादी का0 दीपक कुमार वर्मा निवासी परसियां भगवती, थाना खुखुन्दू, जनपद देवरिया (हाल पता थाना चोपन, जनपद सोनभद्र) को अभियुक्तों द्वारा **Botbro, Crossmarket एवं MineCrypto** नामक **ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म** पर **08-10 प्रतिशत लाभ का झांसा** देकर निवेश कराया गया तथा विभिन्न खातों में धनराशि स्थानांतरित कर लगभग ₹10,70,000/- की साइबर ठगी कर ली गई। इस संबंध में **साइबर क्राइम पुलिस थाना सोनभद्र पर मु0अ0सं0-16/2026 धारा 318(4) बीएनएस एवं धारा 66-D सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत** किया गया।

विवेचना के दौरान तकनीकी एवं बैंकिंग साक्ष्यों के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्तों द्वारा जनपद सोनभद्र में नियुक्त 04 पुलिसकर्मियों से शेयर ट्रेडिंग में अधिक लाभ का झांसा देकर **कुल ₹25,03,000/-** की साइबर ठगी की गई।

**कृत कार्यवाही-** विवेचना के दौरान तकनीकी एवं बैंकिंग साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया गया, जिसमें ठगी की धनराशि अभियुक्तों द्वारा उपलब्ध कराए गए विभिन्न बैंक खातों में स्थानांतरित होना पाया गया। साक्ष्यों के आधार पर **अभियुक्त सुफियान, मो. दानिश, अरशद सिद्दीकी एवं तुफैल खान** की संलिप्तता प्रकाश में आने पर मुकदमे में **धारा** 336(3), 338 एवं 340(2) बीएनएस **की बढ़ोत्तरी** की गई।

**प्र0नि0 धीरेन्द्र कुमार चौधरी, साइबर क्राइम पुलिस थाना सोनभद्र** के नेतृत्व में टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा **निरीक्षक नागेश कुमार सिंह, प्रभारी स्वाट टीम** के साथ समन्वय स्थापित कर जनपद **लखनऊ** में दबिश दी गई, जहां से दिनांक **30.06.2026** को समय **21:30 बजे** चारों अभियुक्तों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे **से 05 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद लैपटॉप तथा घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन बरामद** किया गया। प्रकरण में अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा साइबर ठगी की शेष धनराशि की बरामदगी हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

## पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि वे विभिन्न **ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम** से अधिक लाभ का लालच देकर लोगों को निवेश करने के लिए प्रेरित करते थे। निवेशकों द्वारा भेजी गई धनराशि को विभिन्न **बैंक खातों में स्थानांतरित** कर आपस में बांट लेते थे। विवेचना में यह भी पाया गया कि अभियुक्तों द्वारा वादी सहित **जनपद सोनभद्र के अन्य पुलिसकर्मियों** को भी इसी प्रकार साइबर ठगी का शिकार बनाया गया।

## गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. सुफियान पुत्र इजराइल खान, निवासी बद्रीनगर नादरगंज अमौसी, थाना सरोजनीनगर, जनपद लखनऊ।
2. मो. दानिश पुत्र अजमेर अली, निवासी 529/231 रहीमनगर, थाना महानगर, जनपद लखनऊ।
3. अरशद सिद्दीकी पुत्र जावेद इकबाल, निवासी 474/ए20 ब्रह्मनगर, थाना हसनगंज, जनपद लखनऊ।
4. तुफैल खान पुत्र इजराइल खान, निवासी बद्रीनगर नादरगंज अमौसी, थाना सरोजनीनगर, जनपद लखनऊ।

## बरामदगी का विवरण-

05 अदद मोबाइल फोन।

01 अदद लैपटॉप।

01 अदद चार पहिया वाहन संख्या UP51 BS7866।

## गिरफ्तार/अनावरण करने वाली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार चौधरी, साइबर क्राइम पुलिस थाना, सोनभद्र।
2. निरीक्षक नागेश कुमार सिंह, प्रभारी स्वाट टीम, सोनभद्र।
3. मुख्य आरक्षी संजय वर्मा, साइबर क्राइम पुलिस थाना, सोनभद्र।
4. मुख्य आरक्षी शिवनन्दन सिंह, साइबर क्राइम पुलिस थाना, सोनभद्र।
5. मुख्य आरक्षी मनीष सिंह, स्वाट टीम, सोनभद्र।
6. आरक्षी ह्रदेश यादव, साइबर क्राइम पुलिस थाना, सोनभद्र।
7. आरक्षी सुनील कुमार, साइबर सेल, सोनभद्र।
8. आरक्षी रितेश पटेल, स्वाट टीम, सोनभद्र।
9. आरक्षी अजीत कुमार, स्वाट टीम, सोनभद्र।

**सोनभद्र पुलिस द्वारा साइबर अपराध एवं साइबर अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सतत जारी है। आमजन से अपील है कि किसी भी ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग, निवेश अथवा अधिक लाभ के प्रलोभन में आकर धनराशि निवेश न करें। किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 अथवा निकटतम साइबर थाना/पुलिस स्टेशन पर शिकायत दर्ज कराएं।**